निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 फाल्गुन 1939 (श0)
(सं0 पटना 149) पटना, मंगलवार, 20 फरवरी 2018

सं० पि०व०/विविध–25–20/2017–338
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

13 फरवरी 2018

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 से राज्य योजनान्तर्गत 23 जिलों यथा–1. नालन्दा 2. रोहतास 3. भभुआ (कैमूर) 4. बक्सर 5. जहानाबाद 6. अरवल 7. नवादा 8. औरंगाबाद 9. सीवान 10. गोपालगंज 11. सीतामढ़ी 12. शिवहर 13. समस्तीपुर 14. सुपौल 15. अररिया 16. किशनगंज 17. कटिहार 18. बांका 19. लखीसराय 20. शेखपुरा 21. जमुई 22. खगड़िया 23. बेगूसराय में एक–एक नये प्राक्–परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन एवं पदों के सृजन की स्वीकृति ।

इस योजना के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को यू0पी0एस0सी0/बी0पी0एस0सी0, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा योजनान्तर्गत 15 जिलों यथा 1. पूर्णियाँ 2. सहरसा 3. मुंगेर 4. मधुबनी 5. वैशाली (हाजीपुर) 6. पूर्वी चम्पारण एवं 7. पश्चिम चम्पारण 8. पटना, 9. मुजफ्फरपुर, 10. गया, 11. सारण, 12. दरभंगा, 13. भागलपुर, 14. भोजपुर (आरा) एवं 15. मधेपुरा में एक–एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 से राज्य योजनान्तर्गत राज्य के शेष 23 जिलों यथा–1. नालन्दा 2. रोहतास 3. भभुआ(कैमूर) 4. बक्सर 5. जहानाबाद 6. अरवल 7. नवादा 8. औरंगाबाद 9. सीवान 10. गोपालगंज 11. सीतामढ़ी 12. शिवहर 13. समस्तीपुर 14. सुपौल 15. अररिया 16. किशनगंज 17. कटिहार 18. बांका 19. लखीसराय 20. शेखपुरा 21. जमुई 22. खगड़िया 23. बेगूसराय में एक–एक प्राक्–परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन एवं पदों के सृजन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

इन केन्द्रों में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं यथा यू०पी०एस०सी०/बी०पी०एस०सी०, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी।

योजना के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश :–

(क) **प्रशिक्षण केन्द्र का वार्षिक कार्यक्रमः**–प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर 60–60 विद्यार्थियों के दो बैच (प्रशिक्षण अवधि 6–6 माह) संचालित कराये जाएँगे। इस प्रकार एक वर्ष में एक केन्द्र पर 240 विद्यार्थियों को अर्थात् कुल 23 केन्द्रों पर 5520 विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करायी जाएगी।

(ख) **कार्यान्वयन एजेंसीः**–विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा एवं इसका पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के द्वारा किया जाएगा।

(ग) **पात्रताः**–प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल उपलब्ध आसन में से 40%(24 आसन) पिछड़ा वर्ग तथा 60%(36 आसन) अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए अनुमान्य होंगे। किसी एक कोटि के छात्र/छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में दूसरे कोटि के छात्र/छात्राओं का नामांकन किया जा सकता है।

✓ छात्र/छात्रा की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए।

✓ बिहार का स्थायी निवासी होनी चाहिए।

✓ जाति– पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत होनी चाहिए।
छात्र की आय सहित उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर रू० 1,00,000/– होनी चाहिए।

(घ) **प्रशिक्षण अवधिः**–प्रत्येक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की अधिकतम अवधि 6 माह की होगी।

बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धताः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा मांग संख्या–11– विपत्र कोड– 11–2225032770101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–1301–कार्यालय व्यय इकाई में एवं 2802–संविदा सेवाएँ इकाई अन्तर्गत राज्य योजना से विकलनीय होगा।

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि :–

(i) वित्तीय वर्ष 2017–18 से राज्य योजनान्तर्गत 23 जिलों यथा–1. नालन्दा 2. रोहतास 3. भभुआ (कैमूर) 4. बक्सर 5. जहानाबाद 6. अरवल 7. नवादा 8. औरंगाबाद 9. सीवान 10. गोपालगंज 11. सीतामढ़ी 12. शिवहर 13. समस्तीपुर 14. सुपौल 15. अररिया 16. किशनगंज 17. कटिहार 18. बांका 19. लखीसराय 20. शेखपुरा 21. जमुई 22. खगड़िया 23. बेगूसराय में एक–एक नये प्राक्–परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन एवं पदों के सृजन की स्वीकृति ।

(ii) **प्रस्तावित व्यय प्रति केन्द्रः–**

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण हेतु विभिन्न मदों में प्रति केन्द्र अनुमानित प्रस्तावित आवर्ती व्यय एवं अनावर्ती व्यय का विवरण निम्नरूपेण हैः–

क्रमांक	पद का नाम	प्रति केन्द्र पद की संख्या	प्रति केन्द्र मानदेय पर होनेवाली वार्षिक व्यय की राशि	केन्द्रों की संख्या	कुल वार्षिक व्यय की राशि	अभ्युक्ति
(क)	आवर्ती व्यय					
1	निदेशक	1	रू० 5000/– प्रतिमाह x 12 माह =रू० 60000/–	23	1380000.00	प्रतिनियुक्ति के आधार पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक रहेंगे।
2	शिक्षक	-	रू० 800/– प्रति कक्षा x प्रतिदिन 6 कक्षा x 24 दिन x 12 माह =रू० 1382400/–	23	31795200.00	प्रतिनियुक्ति के आधार पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक रहेंगे।
3	कम्प्यूटर आपॅरेटर	1	रू० 13225/– प्रतिमाह x 12 माह =रू० 158700/–	23	3650100.00	संविदा पर बेल्ट्रॉन के माध्यम से
4	भंडारपाल–सह–लिपिक	1	रू० 15000/–प्रतिमाह x 12 माह =रू० 180000/–	23	4140000.00	संविदा पर

क्रमांक	पद का नाम	प्रति केन्द्र पद की संख्या	प्रति केन्द्र मानदेय पर होनेवाली वार्षिक व्यय की राशि	केन्द्रों की संख्या	कुल वार्षिक व्यय की राशि	अभ्युक्ति
(क)	आवर्ती व्यय					
5	कार्यालय उपस्कर मेंटनेन्स	-	(कम्प्यूटर/फोटोकॉपियर/फैक्स/आलमीरा/बुक सेल्फ/कुर्सी–बेंच इत्यादि के मेंटनेन्स हेतु) रू० 50000/–	23	1150000.00	–
6	कार्यालय व्यय	-	रू० 30000/–x 12 माह = रू० 360000	23	8280000.00	–
7	मकान किराया	-	रू० 20000/–प्रति माह x 12 माह =रू० 240000	23	5520000.00	–
8	दूरभाष	-	रू० 2000/–प्रति माह x 12 माह = रू० 24000	23	552000.00	–
			रू० **2455100.00**	**Total**	**56467300.00**	
(ख)	**अनावर्ती व्यय**					
	कम्प्यूटर/फोटो कॉपियर/फैक्स /आलमीरा/बुक सेल्फ इत्यादि के लिए प्रति केन्द्र रू0 3,00,000/– प्रथम वर्ष में।		रू० 300000 प्रति केन्द्र	23	6900000.00	
			कुल व्यय (आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय)		63367300.00	–

कुल प्रस्तावित व्ययः– इस प्रकार 23 केन्द्रों हेतु प्रति केन्द्र कुल वार्षिक अनुमानित आवर्ती व्यय =रू० 24,55,100 x 23= 56467300/–तथा 23 केन्द्रों हेतु प्रथम वर्ष के लिए कुल अनुमानित अनावर्ती व्यय =रू० 3,00,000x23 = 6900000/- अतः कुल व्यय= आवर्ती व्यय + अनावर्ती व्यय= रू० 56467300+ रू० 6900000= रू० 63367300

(iii) वर्त्तमान वित्तीय वर्श 2017–18 के तीन माह हेतु आवर्ती व्यय मद में रू0 14116825 एवं अनावर्ती व्यय रू0 69,000,00 (प्रथम वर्श हेतु) अर्थात् कुल–रू0 14116825+रू0 6900000=रू0 21016825/– व्यय की स्वीकृति।

(iv) सभी प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों को संबंधित जिलों में उपलब्ध सरकारी भवन या किराये के मकान में संचालित करने की स्वीकृति।प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी जनप्रतिनिधियों/जनसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 149-571+1500 -डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in